"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2016—भाद्र 18, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रविश गुम्बर पिता श्री मंजीत सिंह गुम्बर, आयु 19 वर्ष, निवासी-डॉ. धीर गली, दयालबंद बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम अमित गुम्बर था तथा इसी नाम से जाना पहचाना जाता था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम रविश गुम्बर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रविश गुम्बर पिता श्री मंजीत सिंह गुम्बर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

अमित गुम्बर
पिता श्री मंजीत सिंह गुम्बर
निवासी-डॉ. धीर गली, दयालबंद बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

रविश गुम्बर
पिता श्री मंजीत सिंह गुम्बर
निवासी-डॉ. धीर गली, दयालबंद बिलासपुर
तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, SAJAN JOSEPH MATHEW पिता स्व. जोसफ जार्ज, निवासी-तुलिप-295, ब्लाक-A, तालपुरी, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, रूआबांधा, भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम Sajan Joseph था तथा इसी नाम से जाना पहचाना जाता था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम Sajan Joseph Mathew रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे Sajan Joseph Mathew पिता स्व. जोसफ जार्ज के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

साजन जोसफ (Sajan Joseph)
पिता स्व. जोसफ जार्ज
निवासी-तुलिप-295, ब्लाक-A, तालपुरी,
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, रूआबांधा, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

साजन जोसफ मैथ्यू (Sajan Joseph Mathew)
पिता स्व. जोसफ जार्ज
निवासी-तुलिप-295, ब्लाक-A, तालपुरी,
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड, रूआबांधा, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्री जी. आदिनारायण आत्मज श्री अपन्ना, निवासी-591/7, सड़क-7, आशीष नगर रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी पुत्री जिसकी जन्मतिथि 23-9-1999 है के शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम प्रियंका (Priyanka) पिता श्री जी. आदिनारायण (G. Adinarayan) दर्ज है. मैं अपने पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम जी. प्रियंका (G. Priyanka) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को जी. प्रियंका (G. Priyanka) पिता श्री जी. आदिनारायण के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

प्रियंका
पिता श्री जी. आदिनारायण
निवासी-591/7, आशीष नगर रिसाली, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

जी. प्रियंका
पिता श्री जी. आदिनारायण
निवासी-591/7, आशीष नगर रिसाली, भिलाई
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कु. सुधा पिता श्री जी. आदिनारायण, निवासी-591/7, सड़क-7, आशीष नगर रिसाली भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों, आधार कार्ड व समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम सुधा (Sudha) पिता श्री जी. आदिनारायण (G. Adinarayan) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम जी. सुधा (G. Sudha) रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे जी. सुधा (G. Sudha) पिता श्री जी. आदिनारायण के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सुधा पिता श्री जी. आदिनारायण निवासी-591/7, आशीष नगर रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	जी. सुधा पिता श्री जी. आदिनारायण निवासी-591/7, आशीष नगर रिसाली, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिनेश कुमार आत्मज श्री भुवन लाल, उम्र 47 वर्ष, निवासी-131/बी, रिसाली सेक्टर भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरी जन्मतिथि 4-2-1969 है तथा मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र (कक्षा ग्यारहवीं/मैट्रिक) में मेरा नाम दिनेश कुमार (Dinesh Kumar) पिता श्री भुवन लाल (Bhuvan Lal) दर्ज है एवं मेरे कक्षा बी. एस. सी. के प्रमाण पत्र में एवं अन्य दस्तावेजों तथा आधार कार्ड, पेनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र में मेरा नाम दिनेश कुमार देवांगन (Dinesh Kumar Dewangan) पिता का नाम भुवन लाल देवांगन दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "देवांगन" जोड़कर नया नाम दिनेश कुमार देवांगन (Dinesh Kumar Dewangan) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे दिनेश कुमार देवांगन आत्मज श्री भुवन लाल देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
दिनेश कुमार आत्मज-श्री भुवन लाल निवासी-131/बी, रिसाली सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	दिनेश कुमार देवांगन आत्मज-श्री भुवन लाल देवांगन निवासी-131/बी, रिसाली सेक्टर, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति माया सिंह पति श्री संतोष कुमार, उम्र 37 वर्ष, निवासी-क्वाटर नं. 4 ए, सड़क नं. 33, सेक्टर 5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति श्री संतोष कुमार के बी. एस. पी. के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश सिर्फ माया दर्ज हो गया है जबकि मेरे आधार कार्ड व पेनकार्ड में मेरा पूरा नाम माया सिंह दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति माया सिंह रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमति माया सिंह पति श्री संतोष कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

माया
पति श्री संतोष कुमार
निवासी-क्वाटर नं. 4 ए, सड़क नं. 33, सेक्टर 5, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमति माया सिंह
पति श्री संतोष कुमार
निवासी-क्वाटर नं. 4 ए, सड़क नं. 33, सेक्टर 5, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमति जागृति खिचरिया ध. प. श्री निखिल खिचरिया, उम्र 28 वर्ष, निवासी-मकान नं. 183, वार्ड क्र. 57, कातुल बोर्ड, पो. एस. एफ. कॉलोनी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरी जन्मतिथि 2-10-1987 है. विवाह पूर्व मेरा नाम कु. दुर्गावती वर्मा आ. पवन कुमार वर्मा पता जे- पॉकेट, 25/सी, मरोदा सेक्टर भिलाई नगर, तह. भिलाई जिला दुर्ग था. मेरा विवाह दिनांक 30-05-2015 को श्री निखिल खिचरिया आ. धनश्याम सिंह खिचरिया के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमति जागृति खिचरिया रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमति जागृति खिचरिया ध. प. श्री निखिल खिचरिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कु. दुर्गावती वर्मा
पिता श्री पवन कुमार वर्मा
निवासी-जे- पॉकेट, 25/सी, मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर,
तहसील भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमति जागृति खिचरिया
ध. प. श्री निखिल खिचरिया
निवासी-मकान नं. 183, वार्ड क्र. 57, कातुल बोर्ड,
पो. एस. एफ. कॉलोनी दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संदीप कुमार डिक्सेना (Sandeep Kumar Dixena) पिता श्री अश्वनी कुमार डिक्सेना, उम्र 22 वर्ष, निवासी-जरहाभाठा, राजीव गांधी चौक, वार्ड नं. 12, कुम्हार पारा, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे अंकसूची एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम टेकेन्द्र कुमार डिक्सेना (Tekendra Kumar Dixena) पिता अश्वनी कुमार डिक्सेना दर्ज है तथा मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाता है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम संदीप कुमार डिक्सेना रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे संदीप कुमार डिक्सेना पिता श्री अश्वनी कुमार डिक्सेना के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

टेकेन्द्र कुमार डिक्सेना (Tekendra Kumar Dixena)
पिता श्री अश्वनी कुमार डिक्सेना
निवासी-जरहाभाठा, राजीव गांधी चौक, कुम्हार पारा,
वार्ड नं. 12, मदर टेरेसा वार्ड
बिलासपुर (छ. ग.)

नया नाम

संदीप कुमार डिक्सेना (Sandeep Kumar Dixena)
पिता श्री अश्वनी कुमार डिक्सेना
निवासी-जरहाभाठा, राजीव गांधी चौक, कुम्हार पारा,
वार्ड नं. 12, मदर टेरेसा वार्ड
बिलासपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुदामा प्रसाद आत्मज स्व. लोचन प्रसाद, उम्र 60 वर्ष, जाति कायस्थ, निवासी म. नं. 6-ए, सड़क नं. 30, सेक्टर-6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं निवृत्त कर्मचारी हूं. मेरे से संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम सुदामा नायक लिखा हुआ है. मैं अपने उपनाम "नायक" को परिवर्तित कर नया नाम सुदामा प्रसाद रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सुदामा प्रसाद पिता स्व. लोचन प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुदामा नायक
पिता स्व. लोचन प्रसाद
निवासी-म. नं. 6-ए, सड़क नं. 30, सेक्टर-6, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुदामा प्रसाद
पिता स्व. लोचन प्रसाद
निवासी-म. नं. 6-ए, सड़क नं. 30, सेक्टर-6, भिलाई,
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

वनमण्डलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ (छ. ग.)

मनेन्द्रगढ़ दिनांक 24 अगस्त 2016

क्रमांक/माचि./2016/127.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में अंकित आकृति के बीट हैमर श्री राजेश कुमार मिश्रा परिसर रक्षक को आवंटित किया गया था, जिसे परिसर रक्षक द्वारा दिनांक 28-06-2016 को अपने बीट भ्रमण के पश्चात् अपने पुत्र को रेल्वे स्टेशन मनेन्द्रगढ़ में ट्रेन बैठाने के दौरान उनकी मोटर सायकल सहित उसमें रखे बीट हैमर चोरी हो गया. जिसकी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना मनेन्द्रगढ़ में दर्ज करा दिया गया है. परिक्षेत्राधिकारी बिहारपुर के पत्र क्र. 290 दिनांक 01-07-2016 के द्वारा सूचना दी गई है, कि हैमर के खोजबीन के सारे प्रयास असफल रहे.

अत: वन वित्तीय नियम की धारा 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए उक्त बीट हैमर भण्डार (अभिलेख) से अपलेखित किया जाता है तथा उसकी कीमत 250 रु. (दो सौ पचास रुपये मात्र) श्री राजेश कुमार मिश्रा परिसर रक्षक के वेतन से अथवा शासकीय चालान द्वारा वसूल करने का आदेश पारित किया जाता है, तथा हैमर उनकी लापरवाही से गुम हो जाने के फलस्वरूप उन्हें चरित्रावली की चेतावनी दी जाती है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त हैमर मिले तो अपने निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें. यदि किसी के द्वारा उक्त हैमर उपयोग करते हुए पाया गया तो उनके विरुद्ध नियमानुसार वन अधिनियम 1927 की धारा 63 के अंतर्गत अभियोग चलाया जावेगा तथा व दण्ड का भागी होगा.

एस. वेंकटाचलम, भा. व. से.
वनमण्डलाधिकारी

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कबीरधाम (छ. ग.)

कवर्धा, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्रमांक/उपंक/परिसमापन/2015/880.—महामाया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बैरख पंजीयन क्र. 47 विकास खण्ड बोड़ला जिला -कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14, में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 398 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था, किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्रमांक 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015, एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. साथ ही समिति के चुनाव सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी समिति के निर्वाचन प्रारंभ न हो सकने एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रूचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रूचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15/02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए महामाया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बैरख पंजीयन क्र. 47 को इस आदेश के दिनांक 26-08-2016 से परिसमापन में लाता हूं

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री पी. सी. देवांगन सहकारी निरीक्षक को महामाया दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बैरख पंजीयन क्र. 47 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्रमांक/उपंक/परि./2015/881.—अंजनि नंदन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पलानसरी पंजीयन क्र. 58 विकास खण्ड पण्डरिया जिला -कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14, में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2011-12, 2012-13, एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 812 दिनांक 05-08-2016 जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्रमांक 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015, एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. साथ ही समिति के चुनाव सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी समिति के निर्वाचन प्रारंभ न हो सकने एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रूचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रूचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15/02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अंजनि नंदन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पलानसरी पंजीयन क्रमांक 58 को इस आदेश के दिनांक 26-08-2016 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री आर. के. ध्रुव वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को अंजनि नंदन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. पलानसरी पंजीयन क्रमांक 58 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कवर्धा, दिनांक 26 अगस्त 2016

क्रमांक/उपंक/परि./2015/882.—जय नंदनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. लखनपुर कला पंजीयन क्र. 41 विकास खण्ड कवर्धा जिला -कबीरधाम (छ. ग.) की अंकेक्षण टीप वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14, में उल्लेखित तथ्यों जैसे उक्त वर्षों में संस्था द्वारा किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय न किया जाना, संस्था द्वारा संस्था के संचालन हेतु आवश्यक रिकार्ड संधारण न किया जाना एवं उक्त तीन वर्षों में संस्था के वित्तीय पत्रक में किसी भी तरह का वित्तीय व्यवहार का उल्लेख न होना एवं वर्ष 2011-12, 2012-13, एवं 2013-14 के अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा कोई प्रयास नहीं किया जाना एवं संस्था द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त निर्वाचन न कराया जाना, इत्यादि को पर्याप्त आधार मानते हुए संस्था को छ. ग. सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन की कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 398 दिनांक 13-04-2015 जारी किया गया था. किन्तु संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 86 दिनांक 16-01-2015, पत्र क्रमांक 204 दिनांक 13-02-2015, पत्र क्र. 695 दिनांक 16-07-2015, एवं 892 दिनांक 21-09-2015 द्वारा जानकारी चाही गई कि उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को कार्याशील बनाने हेतु कोई कार्ययोजना हो तो अवगत करावें, अपना अभिमत प्रस्तुत करें, किन्तु कोई जवाब/जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई. दिनांक 25-04-2015 को कार्यालय उप दुग्ध आयुक्त द्वारा प्रेषित पत्र में छ. ग. दुग्ध महासंघ को उक्त दुग्ध सहकारी समितियों का हस्तांतरण दिनांक 30-04-2015 तक किया जाना है उसके प्रस्ताव उपरान्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा, का लेख किया गया है.

किन्तु 05 माह व्यतीत हो जाने के बावजूद छ. ग. दुग्ध महासंघ के शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, शाखा कवर्धा द्वारा उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना संबंधी प्रस्ताव/जानकारी कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई. अतएव कार्यालयीन पत्र क्र. 945 दिनांक 08-10-2015 द्वारा शाखा प्रभारी/विपणन प्रभारी, दुग्ध महासंघ रायपुर शाखा कवर्धा, कबीरधाम को पुन: पत्र जारी कर उक्त दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के संबंध में कोई कार्ययोजना हो तो प्रस्तुत करें अन्यथा की स्थिति में समितियों को परिसमापन/पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी, का लेख करते हुए पत्र जारी किया गया था. किन्तु उनके द्वारा कोई जानकारी/प्रस्ताव कार्यालय में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. साथ ही समिति के चुनाव सम्पन्न कराने हेतु नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भी समिति के निर्वाचन प्रारंभ न हो सकने एवं समिति को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की है. जिससे स्पष्ट होता है, कि उक्त समिति को संचालित करने में न ही समिति को रूचि है न ही छ. ग. दुग्ध महासंघ को रूचि है. समिति को परिसमापन में लाने हेतु दुग्ध महासंघ सहमत है, ऐसा मानते हुए समिति को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अत: मैं बी. के. ठाकुर उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कबीरधाम (छ. ग.) सहकारिता अधिनियम की धारा 69 (2) प्रावधान अनुसार छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15/02/2012/01 छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 03 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जय नंदनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. लखनपुर कला पंजीयन क्र. 41 को इस आदेश के दिनांक 26-08-2016 से परिसमापन में लाता हूं.

छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 71 (1) एवं शासन की उक्त विज्ञप्ति के अनुसार प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री जी. जोशी सहकारी निरीक्षक को जय नंदनी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. लखनपुर कला पंजीयन क्र. 41 का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बी. के. ठाकुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.